न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(समक्ष–व्ही0पी0सिंह)

S.T.N0-113/2020
Filing NO.1496/2020
CNR NO-MP18010017982020
Filing Date-20-07-2020

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

——————————————————**अभियोजन**

ब ना म

छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह गोंड़ उम्र 47 वर्ष निवासी
ग्राम सोनटोला थाना गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

——————————————————**अभियुक्त**

——

यह सत्र प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल जिला शहडोल के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 294/20 म0प्र0शासन बनाम छोटेलाल सिंह में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 09.07.2020 से उत्पन्न।

——

अभियोजन द्वारा – श्री सुरेश जेठानी लोक अभियोजक
आरोपी द्वारा – जनाब इमरान खान अधिवक्ता।

——

नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 238–ए के तहत सूची।

अपराध की तारीख	03.04.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	06.04.2020
आरोप–पत्र की तारीख	03.07.2020
आरोपों की विरचना की तारीख	17.12.2020
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	28.12.2020
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	09.02.2023
निर्णय की तारीख	14.02.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	14.02.2023

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ

			की तारीख				विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
–	छोटेलाल सिंह गोंड़	07.04.20	14.02.23	436, 429 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध	निर्णय अनुसार	दिनांक 07.04.20 से निर्णय दिनांक 14.02.23 तक की अवधि

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

{क} अभियोजन –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
गवाह नंबर–1	श्रीमती सुहागवती सिंह	अनुसंधान साक्षी एवं नजरी नक्शा तथा नुकसानी पंचनामा साक्षी
गवाह नंबर–2	सम्हारू सिंह	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–3	डॉ0 आर0के0 पाठक	चिकित्सक साक्षी
गवाह नंबर–4	पप्पू सिंह	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–5	तेजभान सिंह	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–6	श्रीमती कमला सिंह	अनुसंधान एवं जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–7	रामकरण सिंह	पुलिस साक्षी
गवाह नंबर–8	आनंद कुमार मिश्रा	पटवारी नजरी नक्शा साक्षी
गवाह नंबर–9	बिहारी सिंह	जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–10	रामप्रकाश मिश्रा	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–11	राय सिंह	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–12	रवि सिंह	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–13	देवेन्द्र सिंह	अन्वेषक साक्षी

{ख} प्रतिरक्षा –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1	––निल––	––निल––
2–	प्र0डी0–2	साक्षी तेजभान सिंह का कथन

{ग} न्यायालयीन साक्षी –

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
––निल––	––निल––	––निल––

{क} अभियोजन प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र0पी0–1	नजरी नक्शा
2	प्रपी0–2	नक्शा मौका
3	प्र0पी0–3	नुकसानी पंचनामा
4	प्र0पी0–4	पी0एम0 रिपोर्ट
5	प्र0पी0–5	साक्षी तेजभान सिंह का कथन
6	प्र0पी0–6	जप्ती पत्रक
7	प्र0पी0–7	रोजनामचा की नकल
8	प्र0पी0–7	गिरफ्तारी पत्रक
9	प्र0पी0–8	ट्रेश नक्शा
10	प्र0पी0–9	प्रथम सूचना रिपोर्ट
11	प्र0पी0–10	न्यायालय की पावती
12	प्र0पी0–11	तहसीलदार को प्रेषित पत्र की पावती
13	प्र0पी0–12	गिरफ्तारी की सूचना

{ख} प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1–	प्र0डी0–1	साक्षी राय सिंह का पुलिस कथन

{ग} न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	––निल––	––निल––

{घ} आवश्यक वस्तुएं –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	––निल––	––निल––

'' नि र्ण य ''

(आज दिनांक 14.02.2023 को पारित किया गया)

01. आरोपी छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह गोंड़ पर आरोप है कि उसने दिनांक 03–04–2020 को 22.10 बजे रात्रि थाना गोहपारू अन्तर्गत् ग्राम सोनटोला में अपने रिहायशी मकान जो कि सामान्य तौर पर संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में

उपयोग में आता है, में नाश कारित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि तद् द्वारा नुकसान कारित होगा, आग लगाकर करीब एक लाख रूपये की रिष्टि कारित की तथा अपने रिहायशी मकान में आग लगा दिया जिसमें दो बैल जिनकी कीमत पचास रूपये से अधिक थी, का वध कारित कर रिष्टि कारित किया। इस प्रकार से आरोपी पर निम्नानुसार आरोप है –

क्रमांक	**आरोपी का नाम/पिता का नाम**	**आरोपित अपराध**
1	2	3
1.	छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह	धारा 436, 429 भा0दं0सं0

02. **<u>आरोपी ने निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार किया है :–</u>**

(क) श्रीमती सुहागवती आरोपी की पत्नी एवं श्री सम्हारू सिंह, आरोपी के ससुर हैं।

(ख) आरोपी का विवाह श्रीमती सुहागवती से लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व हुआ था।

(ग) आरोपी को प्र0पी0–7 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया गया था।

03. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि – पीड़ित श्रीमती सुहागवती (अ0सा0–1) ने दिनांक 04–04–2020 को थाना गोहपारू में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि करीब एक माह पहले वह अपने लड़के–बच्चों को लेकर खेरवा टोला सोनटोला चली गयी थी और अपने माता–पिता के पास रह रही थी। दिनांक 03–04–2020 दिन शुक्रवार की रात करीबन 11.00 बजे उसका भतीजा पप्पू सिंह गोंड़ उसके माये घर आकर बताया कि उसके घर में आग लगी है तब वह अपने पिता व रामप्रकाश मिश्रा के साथ अपने ससुराल घर गयी। उसके घर में आग लगी हुयी थी और घर के सामने परछी में दो नग बैल बंधे थे जो आग से जलकर खत्म हो गये थे। मौके पर ही गांव के लोग भी पहुंच गये थे। फायर बिग्रेड की गाड़ी ने आकर उसके घर की आग बुझाई थी, लेकिन उसका घर जल गया था और घर के अंदर रखा राशन गेंहू, चावल, कोदो, खटिया, कपड़े, लकड़ी सब जलकर राख हो गया है। आग लगने से करीब एक लाख रूपये का नुकसान कारित हुआ है। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा में लेख कर आगजनी क्रमांक 12/20 प्र0पी0–7 के रूप में दर्ज किया गया।

04. थाना गोहपारू में पदस्थ स0,उ0,नि0 श्री देवेन्द्र सिंह (अ0सा0–13) व्दारा आगजनी क्रमांक 12/20 की जांच के दौरान दिनांक 06–04–2020 को साक्षी सुहागवती, छोटेलाल सिंह, रामसिंह, तेजभान सिंह, रवि सिंह एवं कमला सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा पीड़ित के घर का निरीक्षण कर नुकसानी पंचनामा प्र0पी0–3 तैयार किया गया। घटना स्थल से जली हुयी लकड़ी, जला हुआ कोदो, जला हुआ धान एवं एक

माचिस को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–6 तैयार किया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–1 तैयार किया गया। जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी छोटेलाल सिंह गोंड़ द्वारा आगजनी की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 436, 429 भा0दं0सं0 के तहत अपराध क्रमांक 133/20 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–9 लेखबद्ध की गयी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को प्रेषित की गयी जिसकी पावती प्र0पी0–10 अभिलेख पर संलग्न है। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0–7 बनाया गया। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को प्र0पी0–12 के अनुसार दी गयी।

05. डॉक्टर श्री आर0के0 पाठक (अ0सा0–3) द्वारा दिनांक 04–04–2020 को थाना गोहपारू से पत्र प्राप्त होने पर कि सुहागवती बाई गोंड़ निवासी सोनटोला के दो बैलों को आग लगाकर मार दिया गया है जिस पर उनके द्वारा उक्त दिनांक को 2.00 बजे उन बैलों का शव परीक्षण किया गया था और प्र0पी0–4 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी। साक्षी श्री आनंद कुमार मिश्रा, पटवारी (अ0सा0–8) व्दारा घटना स्थल पीड़ित श्रीमती सुहागवती के मकान का ट्रेश नक्शा प्र0पी0–8 एवं नजरी नक्शा प्र0पी0–2 तैयार किया गया।

06. गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। अन्य विवेचना की पूर्ति उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान अन्तर्गत् धारा 436, 429 भा0दं0सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल जिला शहडोल के न्यायालय में दिनांक 03–07–2020 को प्रस्तुत किया गया जहां से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को विधिवत् सत्र न्यायालय शहडोल को उपार्पित किया। फलतः यह प्रकरण विधिवत् निवर्तनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

07. आरोपी की ओर से कोई भी बचाव में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। उसने आरोपी परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 43 के उत्तर में आरोपी ने बताया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसने अपने घ ार में आग नहीं लगाया है।

08. उपरोक्त आरोप के संबंध में मामले में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैं जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित तालिका में दर्ज किये जा रहे हैं –

क्रं.	**विचारणीय–प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1–	क्या आरोपी ने दिनांक 03–04–2020 को 22.10 बजे रात्रि थाना गोहपारू अन्तर्गत् ग्राम सोनटोला में अपने रिहायशी मकान जो कि सामान्य तौर पर संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में नाश कारित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि तद् द्वारा नुकसान कारित होगा, आग लगाकर करीब एक लाख रूपये की रिष्टि कारित की?	**''प्रमाणित''**

2—	क्या आरोपी ने अपने रिहायशी मकान में आग लगा दिया जिसमें दो बैल जिनकी कीमत पचास रूपये से अधिक थी, का वध कारित कर रिष्टि कारित किया?	**''प्रमाणित''**

निष्कर्ष एवं उसके आधार

09. इस प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व मैं माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख करना उचित समझता हूं जिसमें अपराध विधि शास्त्र के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय न्यायालय ने **थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे.—442** में प्रतिपादित किया है कि :—

(क) अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपने मामले को संदेहातीत रूप में प्रमाणित करना चाहिए।

(ख) अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर अपने मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

(ग) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो जो विचार आरोपी के पक्ष का हो, उसे विचार में लेना चाहिए।

''अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 एवं 2 की संयुक्त विवेचना''

10. **अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 एवं 2 में वर्णित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रमाणित करने होंगे —**

{क} यह कि आरोपी ने अपने रिहायशी मकान में आग लगाया,

{ख} यह कि आरोपी ने यह जानते हुये कि उसके उक्त कृत्य से नुकसान कारित होगा, आग लगाकर करीब एक लाख रूपये की रिष्टि कारित की,

{ग} यह कि आरोपी के उक्त कृत्य से उसके दो बैल आग में जलकर खत्म हो गये,

{घ} यह कि आरोपी द्वारा जानबूझकर रिष्टि कारित की गई।

11. उक्त सभी उप—अवधारणीय बिन्दु एक—दूसरे से सह—संबंधित हैं, इसलिए उनका एक साथ विचारण किया जा रहा है।

12. उक्त के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों में से श्रीमती सुहागवती सिंह (अ0सा0—1) ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा—1 में, सम्हारू सिंह (अ0सा0—2) ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा—2 में, पप्पू सिंह (अ0सा0—4) तेजभान सिंह (अ0सा0—5), कमल सिंह (अ0सा0—6), रामप्रकाश मिश्रा (अ0सा0—10), राय सिंह (अ0सा0—11) एवं रवि सिंह (अ0सा0—12) ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा—1 में स्पष्ट रूप

से बताया है कि घटना दिनांक की रात लगभग 9–10 बजे के बीच आरोपी के घर में आग लगी हुई थी। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से साक्षियों को कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है और न ही इस तथ्य को अस्वीकार किया गया है। अतः यह तथ्य स्थापित पाया जाता है कि घटना, दिनांक, समय पर आरोपी के घर में आग लगी हुयी थी।

13. अभियोजन की ओर से बताया गया है कि पीड़ित के घर में आग लगने के कारण उसके दो बैल जलकर खत्म हो गये थे। उक्त के संबंध में श्रीमती सुहागवती सिंह (अ0सा0–1), श्री सम्हारू सिंह (अ0सा0–2), पप्पू सिंह (अ0सा0–4) तेजभान सिंह (अ0सा0–5), कमल सिंह (अ0सा0–6), रामप्रकाश मिश्रा (अ0सा0–10), राय सिंह (अ0सा0–11) एवं रवि सिंह (अ0सा0–12) ने अपने–अपने कथनों में बताया है कि पीड़ित के घर में आग लगने के कारण उसके दो बैल जलकर खत्म हो गये थे। इसके अतिरिक्त उक्त के संबंध में अभियोजन की ओर से डॉक्टर श्री आर0के0 पाठक (अ0सा0–3) का कथन कराया गया है जिन्होंने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 04–04–2020 को वे पशु चिकित्सालय गोहपारू में विटनरी डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोहपारू से उन्हें पत्र मिला था कि सुहागवती बाई गोंड़ निवासी सोहनटोला के दो बैलों को आग लगाकर मार दिया गया था जिस पर उनके व्दारा दिनांक 04–04–2020 को मृत बैलों का शव परीक्षण किया गया था। मौके पर उन्होंने पाया था कि घर एवं छप्पर जला हुआ था एवं घर के कोने में दो बैल जिनकी उम्र 8–9 साल थी, जली हुई अवस्था में मृत पाये गये थे। साक्षी व्दारा परीक्षण उपरांत प्र0पी0–4 की पी0एम0 रिपोर्ट तैयार किया जाना एवं ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बतलाया है।

14. अभिलेख में संलग्न पी0एम0 रिपोर्ट प्र0पी0–4 के अवलोकन से पाया जाता है कि पी0एम0 करते समय दोनों बैलों के शरीर पर अनेक झुलसे हुये और जले हुये घाव पाये गये थे तथा चिकित्सक व्दारा यह अभिमत दिया गया है कि आग से भारी धुंआ उत्पन्न हुआ और उक्त धुएं के कारण उन्हें श्वासावरोध उत्पन्न हुआ जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक को उक्त के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः चिकित्सक के कथन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि घटना, दिनांक, समय पर जब उनके व्दारा पीड़ित के घर में जाकर उसके बैलों का शव परीक्षण किया गया तो उनके शरीर पर अनेक झुलसे और जले हुये घाव पाये गये तथा आग से उत्पन्न धुएं के कारण श्वास अवरूद्ध होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। फलतः यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि घटना, दिनांक, समय पर पीड़ित के घर में हुई आगजनी की घटना में उसके दो बैलों की मृत्यु कारित हुई थी।

15. साक्षी श्रीमती सुहागवती सिंह (अ0सा0–1) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि जेल से व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी को पहचानती जो उसके पति हैं। उसका विवाह आरोपी छोटेलाल से 15–16 साल पहले हुआ था। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वह घटना के समय अपने मायके में थी। उसके भतीजे पप्पू सिंह ने उसके मायके में आकर बताया कि उसके ससुराल घर में आग लगी है तब वह अपने ससुराल घर जाकर देखी तो घटना स्थल पर फायर बिग्रेड की गाड़ी खड़ी थी तथा वहां बहुत से लोग उपस्थित थे। शहडोल की गाड़ी ने आग बुझाया था। आग लगने से धान, कोदो, दो बैल, लकड़ी, खप्पर तथा उसका सोने–चांदी का सामान पूरा जलकर राख हो गया था। आग से जलने से उसका लगभग दो–ढाई लाख रूपये का नुकसान हुआ था। घटना के आठ वर्ष पूर्व से उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था जिसके कारण वह बच्चों को लेकर मायके में रहती थी और बीच–बीच में ससुराल आकर देख–रेख करती थी।

16. आगे साक्षी ने बताया है कि आरोपी छोटेलाल के द्वारा घर में आग लगायी गयी होगी, लेकिन किस कारण से आग लगाई थी? उसे इसकी जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अपने बयान के पैरा–5 में बताया है कि उसने अपनी आंख से आरोपी को घर में आग लगाते हुए नहीं देखा था। पुलिस वाले घटना स्थल पर आये थे और घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–1 तैयार किया था। पटवारी ने भी आकर घटना स्थल का नक्शा बनाया था जो प्र0पी0–2 है। पुलिस वालों ने गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नुकसानी पंचनामा प्र0पी0–3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17. श्री सम्हारू सिंह (अ0सा0–2) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी को वह पहचानता है जो उसका दामाद है। उसने अपनी पुत्री सुहागवती का विवाह आरोपी छोटेलाल के साथ लगभग 15 वर्ष पूर्व किया था। सुहागवती की शादी के पांच वर्ष तक आरोपी उसकी अच्छे से देखरेख करता था, लेकिन इसके बाद आरोपी उसकी लड़की के साथ आये दिन मारपीट करने लगा जिस कारण उसकी पुत्री 7–8 वर्षों से उसके यहां रह रही है। उसकी पुत्री अपने बच्चों को लेकर बीच–बीच में अपनी ससुराल जाती रहती थी। घटना लगभग एक वर्ष पहले रात 12.00 बजे की है। गांव के पप्पू सिंह ने उसके घर में आकर बताया कि छोटेलाल ने घर में आग लगा दी है और कहीं भाग गया है तब वह अपनी लड़की तथा गांव के अन्य व्यक्ति घटना स्थल पर गये थे। वहां आग लगी हुयी थी और गांव के लोग उपस्थित थे। टैंकर से आग बुझाई गई थी। आग लगने से दो नग बैल, धान, कोदो और अन्य सामग्री जल गयी थी। आरोपी के व्दारा घर में आग क्यों लगायी गयी? वह नहीं

बता सकता। इस साक्षी के बयान के पैरा–4 की इबारत के मुताबिक उसने आरोपी को अपनी आंख से आग लगाते हुए नहीं देखा था।

18. श्री पप्पू सिंह (अ0सा0–4) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी छोटेलाल को जानता है जो रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं। घटना साल भर पहले की है। वह रात लगभग 11.30 बजे खा–पीकर सो रहा था। उसके बड़े पिता तेजभान सिंह जोर–जोर से आवाज लगा रहे थे कि छोटेलाल सिंह के घर में आग लगी है तब जाकर देखा तो आग लगी हुई थी और कई लोग वहां पर आ गये थे। फिर वह अपनी चाची सुहागवती के घर जाकर बताया था। उसकी चाची का घर ग्राम सोनटोला में ही दूसरे मोहल्ले में है। वह अपनी चाची को अपने साथ छोटेलाल सिंह के घर लेकर आया था। छोटेलाल व सुहागवती के घर में रखा हुआ अनाज और दो बैल जल गये थे। आग कैसे लगी थी? उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा घटना दिनांक को पीड़ित के घर में आग लगने की बात तो बतायी गयी है, लेकिन साक्षी इस बिन्दु पर कोई कथन नहीं करता है कि उक्त आग किसके द्वारा लगायी गई। इस संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं, लेकिन साक्षी ने उक्त संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है कि आग किसने लगायी?

19. श्री तेजभान सिंह (अ0सा0–5) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी छोटेलाल को जानता है जो उसका चचेरा भाई है। वह गोहपारू मॉडल स्कूल में चौकीदारी का काम करता है। घटना ग्राम सोनटोला की रात के 10.00 बजे के आसपास की है। आरोपी के घर में आग लग गई थी। उसने किसी को आग लगाते हुये अपनी आंख से नहीं देखा था। आग से दो बैल और घर जल गया था। घटना दिनांक को घटना के समय वह अपने घर पर था। उसने देखा कि आरोपी के घर में आग लगी थी तब हल्ला किया था। उसने देखा कि एक आदमी आग लगाकर भाग रहा था, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया था कि वह व्यक्ति कौन था? इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी घटना दिनांक को पीड़ित के घर में आग लगने की बात बतायी गयी है, लेकिन किसने आग लगाया? उसके संबंध में साक्षी ने अनभिज्ञता प्रकट की है।

20. इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं जिस पर साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसने अपनी आंख से देखा था कि आरोपी अपने घर में आग लगाया था। स्वतः कथन करता है कि उसने एक आदमी को वहां से भागते हुये देखा था, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया था। साक्षी के व्दारा पुलिस कथन प्र0पी0–5 के अ से अ भाग की इबारत भी पुलिस को बताने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी

के कथन से मात्र इतना प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को पीड़ित के घर में आगजनी की घटना कारित हुई थी।

21. श्री कमल सिंह (अ0सा0–6) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी छोटेलाल को जानता है। घटना रात के लगभग 9–10 बजे की है। घटना के संबंध में तेजभान सिंह ने बताया था कि छोटेलाल के घर में आग लगी है। वह छोटेलाल का मकान देखने गया था जहां पर आग लगी हुई थी और दो बैल जलकर मर गये थे। आग किसने लगाया था? उसे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस वाले मौके पर आये थे और उसके सामने एक जली हुई लकड़ी, जली हुई कोदई, जला हुआ धान और एक माचिस को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–6 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि आरोपी के घर में किसने आग लगाई? उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि गांव में कोई यह भी नहीं कह रहा था कि आरोपी ने स्वयं अपने घर में आग लगायी है।

22. इस प्रकार इस साक्षी के कथन से आरोपी एवं पीड़ित के घर में घटना दिनांक, समय पर आगजनी की घटना होना एवं उसके घर में रखा हुआ सामान जलकर नष्ट होना तो प्रमाणित पाया जाता है, लेकिन उक्त आग किसके व्दारा लगाई गई? इस संबंध में साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर कोई सुझाव भी नहीं दिये गये हैं।

23. श्री रामप्रकाश मिश्रा (अ0सा0–10) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी छोटेलाल सिंह को जानता है। उसका घर ग्राम सोनटोला में पीड़ित श्रीमती सुहागवती के बगल में ही है। घटना लगभग दो वर्ष पहले रात लगभग 11.00 बजे की है। उसके गांव के सरपंच कमला सिंह व्दारा अपने फोन से बताया गया था कि छोटेलाल अपने घर में आग लगाकर भाग गया है और उसने कहा था कि वह उसका पड़ोसी है, इसलिए सुहागवती और उसके पिता को सूचना दे दे कि उसके घर में आग लगी है तब वह सुहागवती के घर जाकर घटना के बारे में बताया था। बाद में सुहागवती और उसके पिता बरेदी के साथ घटना स्थल पर गया था जहां काफी लोग इकट्ठा थे। फिर फायर ब्रिगेड और थाने को सूचना दिया था जिस पर पुलिस वाले वहां पर आ गये थे। आग लगने से दो बैल जलकर खत्म हो गये थे तथा घर के अंदर रखी हुई धान व अन्य सामान जल गया था। आरोपी की पत्नी अपने मायके में रहती थी और आरोपी अपने घर में रहता था। इस साक्षी के बयान के पैरा–5 की इबारत के मुताबिक उसने आरोपी को घर में आग लगाते हुए नहीं देखा था।

24. श्री राय सिंह (अ0सा0–11) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी छोटेलाल को जानता है। वह ग्राम सोनटोला का रहने वाला है। आरोपी का घर उसके घर से लगभग दो सौ मीटर दूर है। छोटेलाल ने अपने घर में आग लगा दिया था। वह अपने घर में था। हल्ला–गोहार सुनकर घर से बाहर आया। आरोपी छोटेलाल घटना के बाद सुबह मिला था। छोटेलाल जब सुबह आया तो गांव के अन्य लोग भी थे। वह घटना स्थल पर जाकर देखा तो घर पूरी तरह से जल गया था तथा घर के अंदर दो बैल भी जलकर मर गये थे तथा घर के अंदर का सामान भी जल गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने अपने घर में ही आग क्यों लगा दी थी? उसे इस बात की जानकारी है कि आरोपी एवं आरोपी की पत्नी के बीच लड़ाई–झगड़ा होता था। आरोपी की पत्नी आरोपी के साथ न रहकर अपने मायके में रहती थी। इसी कारण आरोपी ने दुखी होकर अपने घर में आग लगा दी थी। इस साक्षी के बयान के पैरा–3 की इबारत के मुताबिक उसने आरोपी को अपने घर में आग लगाते हुए नहीं देखा था।

25. श्री रवि सिंह (अ0सा0–12) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी छोटेलाल को जानता है। घटना लगभग सालभर पहले की है। वह अपने घर की छत पर सोया हुआ था। उसके घर के बगल में ही आरोपी का घर है। घर में जब आग लगी तो उसे पता चला था तब वह गांव वालों के साथ घटना स्थल पर गया था। पूरा घर जल गया था तथा घर में बंधे मवेशी व घर में रखा सारा सामान जल गया था। घर में आग आरोपी छोटेलाल ने ही लगायी थी। उसने आरोपी छोटेलाल को अपने घर में आग लगाते हुये देखा था। आरोपी ने किस कारण से घर में आग लगायी? वह नहीं जानता।

26. इस प्रकार इन सभी साक्षियों के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि घटना, दिनांक, समय पर आरोपी के घर में आगजनी की घटना कारित हुई थी तथा आरोपी एवं पीड़ित के घर में रखा हुआ अनाज एवं दो बैल उक्त आगजनी में जल गये थे तथा बैलों की मृत्यु हो गई थी।

27. श्रीमती सुहागवती (अ0सा0–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कथन किया है कि वह अपने मायके खेरवाटोला में रहती है। घटना के दो सप्ताह पूर्व वह अपने मायके चली गयी थी। इस बात को अस्वीकार किया है कि वह अपनी मर्जी से अपने मायके गई थी। साक्षी स्वतः कथन करती है कि आरोपी मारपीट करता था, इस कारण वह अपने मायके चली गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा–7 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसके घर में रोड पर चलते लोगों के द्वारा बीड़ी पीकर फेंक देने के कारण आग लगी थी। साक्षी स्वतः कथन करती है कि उसके घर में

उसका पति मौजूद था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 के अंत में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि आरोपी द्वारा आग नहीं लगायी गयी थी। इस प्रकार आरोपी की पत्नी के कथन से यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था जिस कारण वह उससे परेशान होकर अपने मायके में रहती थी और घटना दिनांक को भी वह अपने मायके में ही थी तथा पप्पू के द्वारा घटना की जानकारी दिये जाने पर वह मौके पर आयी थी। इसी प्रकार श्री सम्हारू सिंह (अ0सा0–2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में बताया है कि पप्पू सिंह उसकी पुत्री का भतीजा लगता है। पप्पू सिंह रात 12.00 बजे बुलाने आया था। पप्पू सिंह के द्वारा जानकारी देने के पश्चात् वे लोग घटना स्थल पर पहुंच गये थे। श्री पप्पू सिंह (अ0सा0–4) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी एवं उसकी पत्नी के बीच आपस में पटता नहीं था और विवाद होता था। यह सही है कि इसी कारण से आरोपी की पत्नी अपने मायके वाले घर में रहती थी। यह कहना भी सही है कि इसी कारण से आरोपी ने अपने घर में आग लगा दी थी। इस प्रकार इस साक्षी के व्दारा भी आरोपी एवं पीड़ित के बीच विवाद होने की बात बतायी गई है और इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि जिस कारण से आरोपी की पत्नी अपने मायके में रहती थी और इसी कारण आरोपी ने अपने घर में आग लगा दी थी। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा आरोपी एवं उसकी पत्नी के बीच विवाद होने की बात पर आरोपी के द्वारा ही अपने घर में आग लगाने की शंका व्यक्त की गयी है।

28. श्री रामप्रकाश मिश्रा (अ0सा0–10) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि उसने अपनी आंख से आरोपी को आग लगाते नहीं देखा था। स्वतः कथन करता है कि सभी लोग बता रहे थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में साक्षी ने बताया हे कि लोगों के बताये अनुसार वह बता रहा है कि आरोपी छोटेलाल ने अपने घर में आग लगायी थी। श्री रवि सिंह (अ0सा0–12) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि आरोपी छोटेलाल एवं उसकी पत्नी अलग–अलग रहते थे और दोनों के बीच में नहीं पटता था। यह कहना सही है कि आरोपी एवं उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता था, इसी कारण आरोपी ने अपने घर में आग लगा दी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिये जाने पर साक्षी स्पष्ट रूप से बात को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को अपने घर में लगा लगाते हुये अपनी आंख से देखा था। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसका आरोपी से पहले से विवाद चला आ रहा है।

29. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के जब मुख्य

परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का समग्र रूप से अवलोकन किया गया तो यह बात निकलकर सामने आती है कि घटना, दिनांक, समय पर आरोपी एवं पीड़ित के घर में आगजनी की घटना कारित हुई थी और उसके घर में बंधे दो नग बैल एवं घर में रखा सामान धान, कोदो आदि उक्त आग में जलकर नष्ट हो गया था। साक्षियों के कथनों से यह तथ्य भी निकलकर सामने आया है कि आरोपी एवं उसकी पत्नी श्रीमती सुहागवती के बीच आपसी विवाद होता था और वह अपने पति, अर्थात् आरोपी से अलग अपने मायके में अपने पिता के साथ अपने बच्चों को लेकर रहती थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी श्री रवि सिंह (अ0सा0–12) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने आरोपी को अपने घर में आग लगाते हुये स्वयं देखा था तथा जब इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष की ओर से किया गया तो उसमें भी साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यह सही है कि उसने आरोपी को अपने घर में आग लगाते हुये स्वयं अपनी आंख से देखा था।

30. साक्षी श्री देवेन्द्र सिंह (अ0सा0–13) के द्वारा जांच के दौरान साक्षियों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना, नुकसानी पंचनामा प्र0पी0–3 तैयार किया जाना तथा घटना स्थल से जली हुई लकड़ी, जला हुआ कोदई, जला हुआ धान एवं एक माचिस को जप्ती पत्रक प्र0पी0–6 के अनुसार जप्त किया जाना बताया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी पीड़ित के घर में आगजनी की घटना होना एवं उसके घर के अंदर रखा हुआ सामान अनाज एवं अन्य सामान जलकर नष्ट हो जाना प्रमाणित पाया जाता है।

31. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विद्वतापूर्ण तर्क में व्यक्त किया है कि अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपी दोषमुक्ति का पात्र है।

32. उक्त बात का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया है।

33. उक्त तर्क के दृष्टिकोंण से मामले का अवलोकन किया गया।

34. इस प्रकरण के युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्य के बावत् साक्ष्य का अवलोकन करने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि उक्त के बावत् माननीय वरिष्ठ न्यायालयों का क्या अभिमत है –

35. **इन्दर सिंह तथा अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 (1) उम0नि0प0 1443** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि दाण्डिक विधि विनिश्चायक सबूत की अपेक्षा नहीं करती है, वह केवल युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की अपेक्षा करती है। निःसंदेह दाण्डिक मामलों में युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत पेश किया जाना होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह परिपूर्ण हो। यदि कोई मामला

पूर्णरूपेण साबित कर दिया जाता है तो यह दलील दी जाती है कि यह कृत्रिम है। यदि किसी मामले में कुछ दोष रह गये हैं, जो मानव के त्रुटि उन्मुक होने के कारण अनिवार्य हैं, तो यह दलील दी जाती है कि यह बहुत अपूर्ण है। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत **''मार्गदर्शक है न कि कोई जादू–टोना।''**

36. **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 1998 = 1989 (1) उम.नि.प. 977** में देश के शिखर न्यायालय ने व्यक्त किया है कि –

> **'' – – – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वास्तविक सच्चाई का पता लगाये। न्यायाधीश मात्र इसलिए दाण्डिक विचारण में पीठासीन नहीं होता कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित न किया जाए, बल्कि वह इसलिए भी पीठासीन होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दोषी व्यक्ति दण्डित होने से न बच पाए। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिनका न्यायाधीश को पालन करना होता है।''**

37. आपराधिक मामलों में सबूत की अपेक्षित मात्रा के संबंध में **''लार्ड डेनिंग''** के मत को यहां उद्धृत करना सुसंगत होगा। लार्ड डेनिंग ने **मिलर बनाम मिनिस्टर ऑफ पेंशन्स 1947 (2) ऑल इंग्लैण्ड रिपोर्टस 373** वाले मामले में आपराधिक मामलों में अपेक्षित सबूत की मात्रा पर विचार करते हुये यह मत व्यक्त किया कि –

> **''– – –वह मात्रा सुस्थापित है, यह आवश्यक नहीं है कि वह निश्चितता तक पहुंचे ही, किन्तु उसे अधिसंभाव्यता की उच्च मात्रा तक तो पहुंचना ही चाहिए। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत से संदेह की छाया से परे सबूत अभिप्रेत नहीं है। उस स्थिति में विधि समाज को संरक्षण प्रदान करने में असफल हो जाएगी, यदि उसमें न्याय के पक्ष से विचलन करने के लिए काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है। यदि साक्ष्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध इतना सशक्त है कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना ही शेष रहती है, जिससे ''निःसंदेह यह संभव है, किन्तु तनिक भी अधिसंभाव्य नहीं'' वाक्य का प्रयोग करके अस्वीकार किया जा सकता है, तो मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है।''**

38. उक्त के बावत् **इकबाल मूसा पटेल विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2011(2) एस0सी0सी0 198**, **बलवन्त बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1982 एम.पी. डब्ल्यू.एन.–2**, **अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 696**,

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ए.के. एन्थनी ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 48, **गुरूवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह तथा अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 209**, **शिवाजी राय व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2622**, **बर्के जोसफ बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 पैरा–12**, **आशीष बाथम बनाम म0प्र0 राज्य 2003 (1) एम.पी.एच.टी.–1 (एस.सी.)**, **थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 442**, **कलीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2773** एवं **जोगेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 क्रिमिनल लॉ जनरल 117** भी अवलोकनीय हैं।

39. जैसा कि उपर वर्णित है कि घटना, दिनांक, समय पर आरोपी एवं पीड़ित के घर में आगजनी की घटना कारित हुई थी जिसमें घर के अंदर रखा अनाज एवं अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया था तथा दो नग बैल जलकर खत्म हो गये थे। यह तथ्य भी प्रमाणित पाया गया है कि उक्त आगजनी की घटना आरोपी के द्वारा ही कारित की गयी थी। अतः यह अभिलेख पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी छोटेलाल सिंह के व्दारा ही दिनांक 03–04–2020 को 22.10 बजे रात्रि अपने रिहायशी मकान में आग लगाकर नुकसान कारित कर रिष्टि कारित किया तथा अतः निर्मित अवधारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** स्वरूप में दिया जाता है।

40. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः मामले में निम्नानुसार आरोपी को दोषसिद्धी प्रदत्त की जाती है –

क्रं.	**नाम आरोपी/पिता का नाम**	**दोषमुक्ति**	**दोषसिद्धी**
1.	**छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह गोंड़**	**––निल––**	**धारा 436, 429 भा.दं.सं.**

41. दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 235 (2) के अनुसार आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

दण्डादेश

42. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन के प्रतिनिधि को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उभयपक्ष ने उसके समर्थन में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया। आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी का पहला अपराध है, कम उम्र का नवयुवक है तथा गरीब मजदूर व्यक्ति है, इसलिए नर्म रूख अपनाया जावे, जबकि अभियोजन के प्रतिनिधि का कहना है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी ने अपने ही घर में आग लगाकर उसे नष्ट किया जिसमें घर में रखा सामान एवं दो नग बैल जलकर खत्म हो गये। अतः सजा में कोई रियायत न बरती जावे।

43. **स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम बालू 2005 (1) एस.सी.सी. 108** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अपर्याप्त दण्ड देने से समाज में न्यायालय के प्रति गलत संदेश जाता है। अपराध की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

44. **रमन बनाम फ्रांन्सिस 1988 कि.लॉ. जनरल 1359** में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दण्डादेश के संबंध में इस प्रकार का मत प्रकट किया है –

> **''अपर्याप्त दण्डादेश विधि व्यवस्था को हानि पहुंचा सकते हैं। विधि को अपराधीकरण की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। डगमगाती दुर्बलता को घेरने वाली मत्तप्रायः भावनाएं छिपी नहीं रह सकती हैं। सुधारवादी भावनाएं किसी युक्तियुक्त दण्डादेश प्रणाली के किसी काम नहीं आ सकती हैं। गलत धारणाओं पर टिके उदारवादी दृष्टिकोंण का समर्थन नहीं किया जा सकता है।''**

45. उक्त के बावत् **कर्नाटक राज्य बनाम कृष्ण उर्फ राजू ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 861 = 1987 कि.लॉ.ज. 779 = 1987 (1) एस.सी.सी. 538**, **पंजाब राज्य बनाम मानसिंह ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 172**, **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 (2) एस.सी.सी. 220** एवं **भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह 2004 (2) एस.सी.सी. 590** अवलोकनीय हैं।

46. चूंकि आरोपी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 436, 429 के तहत दोषसिद्ध हुआ है। आरोपी ने जिन परिस्थितियों में अपने घर में आग लगाकर नुकसान कर रिष्टि कारित किया जिसमें घर में रखा सामान जलकर नष्ट हुआ तथा घर के अंदर बंधे दो नग बैलों की जलने के कारण मृत्यु हुई। उस परिस्थिति में आरोपी रियायत का पात्र नहीं दिखता है। अतः आरोपी छोटेलाल सिंह को निम्नानुसार दंडित किया जाता है–

क्रं.	नाम आरोपी/पिता का नाम	धारा	सजा	जुर्माना रूपये में	व्यतिक्रम में सजा
1–	छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह गोंड़	436 भा.दं.सं.	आजीवन कारावास	5000/–रूपये (पांच हजार रूपये)	एक साल का सश्रम कारावास
2–	––''––	429 भा.दं.सं.	पांच वर्ष का सश्रम कारावास	5000/–रूपये (पांच हजार रूपये)	एक साल का सश्रम कारावास

47. **आरोपी को दी गई दोनों सजाएं साथ–साथ भुगताई जावें।**

48. प्रतिकर दिलाये जाने बावत् इससे संबंधित दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के उपबंधों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरवन सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1978 एस. सी. 1525** एवं **हरि सिंह तथा हरियाणा राज्य बनाम सुखवीर सिंह 1989 (2) उम. नि.प. 186 = 1988 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 150 (एस0सी0)** में से माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'हरि सिंह'** वाले मामले में अपने निर्णय के चरण क्रमांक 10 एवं 11 में निम्नानुसार मताभिव्यक्ति की है –

> **''– – –इस शक्ति का आशय पीड़ित व्यक्ति को इस बावत् आश्वस्त करना है कि दाण्डिक न्याय प्रणाली में उसकी उपेक्षा नहीं की गई है। यह ऐसा अध्युपाय है जिसमें अपराध के बारे में समुचित रीति से कार्यवाही की जाती है और साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति की अपराधी के साथ सुलह हो जाती है। किसी हद तक यह अपराधों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोंण है। वास्तव में यह हमारी दाण्डिक न्याय प्रणाली में एक प्रगतिशील कदम है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि सभी न्यायालयों को इस शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बेहतर रूप में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।''**

49. माननीय उच्चतम न्यायालय ने चरण–11 में इस प्रकार मताभिव्यक्ति की है –

> **''– – –किन्तु, प्रतिकर के रूप में संदाय युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त क्या है ? यह हर एक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों**

पर निर्भर करता है। प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के लिए अपराध की प्रकृति, पीड़ित व्यक्ति के लिए दावे का औचित्य और संदाय करने की अभियुक्त की सामर्थ्य को ध्यान में लिया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो जब तक कि संदाय करने की उनकी सामर्थ्य पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है तो उन्हें समान रूप से संदाय करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा संदाय हर एक अभियुक्त के कार्यों पर निर्भर करते हुए भी भिन्न हो सकता है। प्रतिकर के संदाय के लिए युक्तियुक्त अवधि यदि आवश्यक हो तो किश्तों द्वारा की जा सकती है। न्यायालय व्यतिक्रम की दशा में दण्डादेश अधिरोपित करके आदेश को प्रवर्तित कर सकते हैं। ''

50. उक्त के बावत् **मांगीलाल बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (2) एस.सी.सी. 447** एवं **के.ए. अब्बास बनाम सावू जासेफ तथा अन्य 2010 (6) एस.सी.सी. 230** में भी वर्णित सिद्धांत अवलोकनीय हैं।

51. अर्थदंड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि **दस हजार रूपये** दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के प्राविधान के अनुसार **श्रीमती सुहागवती सिंह पत्नी श्री छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम सोनटोला थाना गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0** को प्रतिकर स्वरूप दिलायी जावे। यदि अपील की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

52. आरोपी द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को द0प्र0सं0, 1973 की धारा 428 के आलोक में मुजरा की जावे। अभिरक्षा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे। सजा वारंट तैयार किया जावे।

53. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्तियां निर्मूल्य होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावें। यदि अपील की गई तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

तद्नुसार निर्णय पारित।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार निर्णय टंकित किया गया।

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

VIRENDRA PRATAP SINGH

Digitally signed by VIRENDRA PRATAP SINGH
DN: cn=VIRENDRA PRATAP SINGH, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, st=Madhya Pradesh, c=IN

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(समक्ष–व्ही0पी0सिंह)

S.T.N0-113/2020

Filing NO.1496/2020

CNR NO-MP18010017982020

Filing Date-20-07-2020

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––––**अभियोजन**

ब ना म

छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह गोंड़ उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम सोनटोला थाना गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––––**अभियुक्त**

क0	नाम आरोपी	निरोध की अवधि
1	छोटेलाल सिंह गोंड़ पिता श्री दल्ला सिंह गोंड़	गिरफ्तारी दिनांक 07.04.2020 से निर्णय दिनांक 14.02.2023 तक की अभिरक्षा अवधि।

उक्त प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर
एवं मुद्रा से आज दिनांक
को जारी किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0